

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला मुरैना (म.प्र.)


क्रमांक -जिउके/मुरैना/IFC/2024/660

मुरैना दिनांक 27/08/2024

//आदेश //

प्रमुख सचिव म.प्र.शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आदेश क्रमांक 2031 / A-11 /2024 / वि.स.क. / भोपाल दिनांक 24.08.24 से अन्तर्विभागीय समन्वय हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति का गठन करते हुये जिला स्तर पर निवेश प्रोत्साहन केन्द्र की स्थापना करने एवं डिप्टी कलेक्टर स्तर से अनिम्न अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त आदेश के परिपालन में श्री सी.बी.प्रसाद , अपर जिला दण्डाधिकारी जिला मुरैना मोबाइल नं. 9425117062 को जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोडल अधिकारी जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति के सदस्य सचिव भी होंगे।

  
कलेक्टर  
जिला मुरैना


क्रमांक -जिउके / मुरैना / IFC / 2024 / 660 - 679

मुरैना, दिनांक 27/08/2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त एमएसएमई, उद्योग संचालनालय म.प्र.भोपाल।
3. संभागीय आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना।
4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रबंध संचालक एम.पी.आई.डी.सी.भोपाल।
6. वन मण्डलाधिकारी, मुरैना सदस्य समिति।
7. संयुक्त संचालक, उद्योग पउका, मुरैना सदस्य समिति।

8. कार्यकारी संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय एम.पी.आई.डी.सी. ग्वालियर, सदस्य समिति ।
9. संम्भागीय यंत्री, MPCZ मुरैना, सदस्य समिति ।
10. जिला अधिकारी, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला मुरैना सदस्य समिति ।
11. जिला अधिकारी, श्रम विभाग मुरैना सदस्य समिति ।
12. उपायुक्त / सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर मुरैना सदस्य समिति ।
13. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुरैना सदस्य समिति ।
14. जिला अग्रणी बैंक अधिकारी मुरैना, सदस्य समिति ।
15. महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मुरैना, सदस्य समिति ।
16. जिला खनिज अधिकारी, मुरैना सदस्य समिति ।
17. आयुक्त नगर निगम मुरैना, सदस्य समिति ।
18. अपर जिला दण्डाधिकारी, कलेक्टर कार्यालय मुरैना, सदस्य सचिव समिति ।
19. प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कलेक्टर कार्यालय मुरैना निवेश प्रोत्साहन केन्द्र स्थापित करने हेतु पालनार्थ ।  
(समिति अर्थात जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति )

  
कलेक्टर  
जिला मुरैना